No 106152

# संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

( ऐक्ट 21, 1860 )

संख्या 1085

वर्ष 2004-2005

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि सुमित्रा स्मारक सेवा संस्थान

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथाविधि निबन्धित हुआ है ;

आज तारीख बीस माह अक्टूबर वर्ष दो हजार चार को [illegible] के साथ दिया गया ।

[illegible] [illegible]

"आम सभा का प्रस्ताव"

आज दिनांक-20.04.2004 को "सुमित्रा स्मारक सेवा संस्थान" की आम सभा की बैठक अध्यक्ष-श्री वल्लभ प्रसाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये।

**प्रस्ताव संख्या-1.**

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि "सुमित्रा स्मारक सेवा संस्था का निबंधन, संस्था अधिनियम-21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित करा लिया जाय।

**प्रस्ताव संख्या-2.**

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था के निबंधन का भार सचिव-श्री राम जनम कुमार को सौंपा जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम सभा के प्रस्ताव का सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

Ram Janam Kumar.
सचिव.

"सुविधा स्मारक सेवा संस्थान"

का

स्मृति-पत्र

1. **संस्था का नाम-** "सुविधा स्मारक सेवा संस्थान"।

2. **प्रधान कार्यालय-** इस संस्था का निबंधित कार्यालय- धर्म निवास, सती स्थान, मलीटोला, पटना (बिहार) होगा।

आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य विभागों को दे दी जायेगी।

3. **कार्यक्षेत्र-** इस संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

4. **उद्देश्य-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे-

1. आपसी एकता, अखण्डता, सद्भावना हेतु सभा, सम्मेलन, गोष्ठि का आयोजन करना। देश की एकता, अखण्डता हेतु प्रेरित करना।
2. आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़, भूकम्प आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना। साथ ही कार्यों में सहयोग करना।
3. समाज में व्याप्त कुरितियों जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा औषधि दुरुपयोग आदि का रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।
4. वृद्धाओं, विधवाओं, अनाथ बच्चों, परित्यक्ताओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, चिकित्सा शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना।
5. विकलांगों, मंद बुद्धि के बच्चों, अपाहिजों के लिए आश्रय, स्थल, भोजन, चिकित्सा, कृत्रिम आदि का व्यवस्था करना।
6. बाल-श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के शैक्षणिक कार्यक्रमों का संचालन करना। कामकाजी महिलाओं के लिए रैन बसेरा, हॉस्टल आदि का व्यवस्था करना।
7. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना एवं लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध करना। सुगम यातायात हेतु सड़क, पुल-पुलिया, नाला, नाली निर्माण एवं मरम्मति हेतु कार्य करना।

m Janam Kumar

8. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु जनजागरण अभियान का संचालन करना। वन, वन्य प्राणियों, वन सम्पदा की रक्षा हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।

9. ऊर्जा के संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करना, उन्नत चूल्हा, गोबर गैस, बायो गैस, सौर ऊर्जा, गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।

10. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, गुड़िया निर्माण, आदि का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलंबी बनने में मदद करना।

11. लोगों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं उद्योग स्थापित कर स्वावलंबी बनने में मदद करना।

12. शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वावलंबी बनाने हेतु टंकण, आशुलिपि कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी विकास का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलंबी बनने में मदद करना।

13. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु आँगनबाड़ी, बालबाड़ी, पालनागृह, स्वंय सहायता समूह, महिला मंडल की स्थापना और संचालन करना।

14. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र की स्थापना और संचालन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। परिवार कल्याण शिविर टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी० बी० आदि से बचने के लिए आवश्यक जानकारी देना एवं दवा उपलब्ध कराना।

15. चिकित्सा के विभिन्न पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करना, आयुर्वेदिक पद्धति, जड़ी, बूटी, प्राकृतिक चिकित्सा, एलोपैथिक, होमियोपैथिक का प्रचार-प्रसार कर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।

16. निरक्षरता उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। विभिन्न स्तरों का शिक्षण संस्थान की स्थापना और संचालन करना। मेधावी गरीब छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।

17. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज,